



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या:-4138-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/13-25-अ0प्र0-07/11

दिनांक: 19.09.2013

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड परिषदादेश सं0 965-पी/राविप-30-4पी/86, दि0 19.06.1989 सपठित परिषदादेश सं0-1598-पी/राविप-तीस-4पी/86, दि0 21.08.89 एवं अन्य सम्बन्धित परिषदादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अधोनामित प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) जिन्होंने कारपोरेशन के आदेश सं0 1060 काविनि एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2008-4(6)20पी-86(टी0सी0), दिनांक 07.10.2008 में निहित प्राविधानों के अनुसार अपने प्रोन्नत पद (सहायक अभियन्ता) संवर्ग के तीनों समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के विकल्प पत्र प्रस्तुत किये हैं, को कारपोरेशन आदेश सं0 1363-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2009, दिनांक 08.10.2009 के अनुपालन में सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति की तिथि से गणना करते हुए कुल मिलाकर 09 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा उनके सम्मुख अंकित टिप्पणी, जो भी बाद में हो, के अनुसार प्रथम समयबद्ध वेतनमान (अपुनरीक्षित वेतनमान में) सहर्ष स्वीकृत करते हैं:-

क्र0सं0	अभियन्ता का नाम	अभिज्ञान सं0	टिप्पणी
	सर्वश्री,		
1.	स्व0 अवधेश सिंह	79164	-
2.	पारस नाथ सिंह	81204	-

प्रबन्ध निदेशक

संख्या:-4138(1)-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/13, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, (जल विद्युत) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह श्री पारस नाथ सिंह, अवर अभियन्ता (वरि0क्र0-362/63-64), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता (अभि0सं0-81204) को अवर अभियन्ता पद से स्वीकृत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयबद्ध वेतनमान के निरस्तीकरण की कार्यवाही कृपया अपने स्तर से करके पावर कारपोरेशन मुख्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।
- अधिशारी अभियन्ता (Website), कक्ष सं0 407, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप सचिव (अ0प्र0-03), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि श्री पारस नाथ सिंह, अवर अभियन्ता (वरि0क्र0-362/63-64), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता (अभि0सं0-81204) को पूर्व में अवर अभियन्ता पद से स्वीकृत किए गए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयबद्ध वेतनमान के निरस्तीकरण आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही उन्हें सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति की तिथि से अनुमन्य प्रथम समयबद्ध वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाय। साथ ही पूर्व में आहरित अधिक धनराशि यदि कोई परिलक्षित हो तो अधिक धनराशि का समायोजन भी अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करें।
- अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03) अनुभाग, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को सम्बन्धित की वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
- सम्बन्धित अधिकारी।
- कट फाइल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा) 10/09/13
उप सचिव